रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244986 CG-DL-E-06042023-244986

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] No. 230] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

फा. सं. एल−1/261/2021/केविविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणााली के लिए संयोजकता एवं सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (इसके बाद जीएनए विनियम) भारत के राजपत्र असाधारण (भाग III, खण्ड 4, संख्या 364) में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित किया गया,

चूंकि जीएनए विनियम के विनियम 1.2 में व्यवस्था है कि ये विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे और विभिन्न तारीखें विभिन्न विनिमयों के आरंभ के लिए तय की जा सकती है,

चूंकि भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित 14.10.2022 की अधिसूचना के माध्यम से, जीएनए विनियमों के कुछ उपबंध 15.10.2022 से प्रभावी हुए थे,

चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणााली के लिए संयोजकता एवं सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (इसके बाद ''प्रथम संशोधन विनियम'') 01.04.2023 को जारी किया गया।

और, अब इसलिए दिनांक 14.10.2022 की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में यह अधिसूचित किया जाता है किः

- (क) प्रथम संशोधन विनियम,विनियम 23.1, 24.2, 24.3, 34.2, 34.3 और 34.4 के संशोधित उपबंधों तथा जीएनए विनियमों के नए विनियम 26.4, 26.5 और 26.6 को छोड़कर दिनांक 05.04.2023 से प्रभावी होंगे;
- (ख) विनियम 40.2 से 40.4, विनियम 43.1 के उपखण्ड (क) और (ख) दिनांक 05.04.2023 से प्रवृत्त होंगे;
- (ग) संयोजकता तथा जीएनए के लिए नए आवेदनऔर उनकी प्रोसेसिंग और अनुदान के संबंध में उपबंध दिनांक 05.04.2023 से प्रभावी होंगे;

2312 GI/2023 (1)

- (घ) विनियम 37.1 सेविनियम 37.8 की प्रभावी तारीख 15.10.2022 के स्थान पर 05.04.2023 होगी और विकल्पों को 05.04.2023 को उनकी स्थिति के आधार पर इन विनियमों के अनुसार संबंधित इकाइयों द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा।
- (ङ) विद्युत की शेड्यूलिंग और प्रेषण अगले अधिसूचना तक समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार ग्रिड के अन्य प्रयोक्ताओं और प्रत्येक नामित आईएसटीएस ग्राहकों के दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा पर आधारित जारी रहेंगे।
- (च) एसटीओए,समय समय से यथासंशोधित और अगली अधिसूचना तक उसके अधीन जारी की गई विस्तृत क्रियाविधियां केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन प्रदान किया जाना जारी रहेगा।
- (छ) अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की बिलिंग, संग्रहण और संवितरण अगली अधिसूचना तक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार ग्रिड के अन्य प्रयोक्ताओं और प्रत्येक डीआईसी के दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा पर आधारित जारी रहेंगे।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./011/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

F. No. L-1/261/2021/CERC.—Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and GeneralNetwork Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafterGNA Regulations) was, on 19.7.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 364),

Whereas, the Regulation 1.2 of the GNA regulations provides that the regulations shall come into force from the date to be notified by the Commission and different dates may be appointed for commencement of different regulations,

Whereas vide Notification dated 14.10.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 520), certain provisions of GNA Regulations were made effective from 15.10.2022,

Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 (hereinafter 'First Amendment Regulations') was, issued on 01.04.2023.

And now, therefore, in partial modification of the Notification dated 14.10.2022, it is notified that:

- (a) The First Amendment Regulations shall come into force with effect from 5.4.2023 except amended provisions of Regulations 23.1, 24.2, 24.3, 34.2, 34.3 and 34.4 and new Regulations 26.4, 26.5 and 26.6 of GNA Regulations;
- (b) Regulations 40.2 to 40.4, sub-clauses (a) and (b) of Regulation 43.1 shall come into force with effect from 5.4.2023;
- (c) The provisions regarding fresh applications for Connectivity and GNA and their processing and grant shall be made effective from 5.4.2023;
- (d) The effective date of Regulation 37.1 to Regulation 37.8 shall be 5.4.2023 in place of 15.10.2022 and options shall be exercised by the concerned entities afresh in accordance with these regulations on the basis of their status as on 5.4.2023.
- (e) Scheduling and Despatch of electricity shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the Designated ISTS Customers (DICs) and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time, till further notification.

- (f) STOA shall continue to be granted under the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time and the Detailed Procedures issued thereunder, till further notification.
- (g) Billing, Collection and Disbursement of the inter-State Transmission Charges and Losses shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the DICs and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 till further notification.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./011/2023-24]